	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 02, शुक्रवार, *शाके* 1947- अक्टूबर 24, 2025 Kartika 02, Friday, Saka 1947- October 24, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

(वृत कोटा)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 06, 2025

(अन्तर्गत भूमि अर्जन पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

Rajkaj 18146127 :–राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वसन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार, कुराड़–ढोटी– कन्दाफल– खेडली –आमली– मंडाप– सांगोद रोड़ (एमडीआर–178) के किमी 14/300 कालीसिन्ध नदी पर उच्च स्तरीय पुलिया के निर्माण कार्य हेतु बजट वर्ष 2025–26 में सीआरआईएफ योजना के तहत घोषित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संयुक्त सचिव सा0 नि0 वि0 राज0 जयपुर के पत्रांक F-7(434)Sec.II/CRF/2020-21/03535/Part File (1)/D-138 Dated 08.01.2025 द्वारा राशि रू. 70.00 करोड़ की जारी की गई है। जिसमें उपखंड कनवास की तहसील कनवास के **ग्राम खेडली कन्दाफल (कुल 2.2114 है0 में से सरकारी 1.7826 है0 तथा निजी 0.4288 है0) एवं उपखंड सांगोद की तहसील सांगोद के ग्राम आमली घटाल (कुल 1.5193 है0 में से सरकारी 0.2711 है0 तथा निजी 1.2482 है0)** भूमि अवाप्त की जानी है।

जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क.सं.	जिला	तहसील	ग्राम
1	कोटा	कनवास	खेडली कन्दाफल
2	कोटा	सांगोद	आमली घटाल

परियोजना हेतु नियमानुसार समाघात निर्धारित हेत् सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा का कुराड़–ढोटी– कन्दाफल– खेडली –आमली– मंडाप– सांगोद रोड़ (एमडीआर–178) के किमी 14/300 कालीसिन्ध नदी पर उच्च स्तरीय पुलिया के निर्माण के दौरान भूमि अवाप्ति के लिए ग्राम खेडली कन्दाफल व आमली घटाल का चयन किया गया है।

उपरोक्त चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन से प्रभावित ग्रामों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन, और पुर्नव्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रकिया निम्नानुसार होगी।

1संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू–अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारित की प्रारूप रिपोर्ट की जावेगी।

2 प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गांवो में सम्बन्धित सभा तत्पश्चात प्रभावित गांवो में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी। जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा।

3 जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना तैयार की जावेगी।

4 सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रकिया प्रभावित गांवो में सम्बन्धित पंचायत के परामर्श से की जावेगीं

5 सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अंकृत और शून्य बना देगा।

6 सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्रः–

सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खंड सांगोद जिला कोटा
eepwdsangod@rediffmail.com, eesangod.pwd@rajasthan.gov.in

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खंड सांगोद जिला कोटा
श्री दिनेश कुमार धाकड़
मो. 9462967277

अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खंड सांगोद जिला कोटा
eepwdsangod@rediffmail.com, eesangod.pwd@rajasthan.gov.in

आर.के. लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सा.नि.विभाग, राजस्थान जयपूर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।